राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4595/2022

मुकेश कुमार मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. पी.ई.ई.ओ. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर।
4. मनीषा भटनागर, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोर, जिला टोंक।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.09.2022
आदेश की दिनांक : 01.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पूनिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (रसायन विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कस्तुला, जिला सवाई माधोपुर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति विकलांग कोटे से हुई थी और उसे दिनांक 07.10.2011 के द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मुढोती, नगर, भरतपुर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी जन्म से ही पोलियो ग्रस्त है, जो अनुलग्नक–6 से प्रकट होता है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को उसके स्थान पर समंजित करने के आशय से 80 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किया है जो राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 10 माह की अल्पावधि में ही कर दिया गया जबकि वह दिव्यांग कार्मिक है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा संशोधित अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर बहस सुनी एवं रिकार्ड पर ली गई।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन व्याख्याता (रसायन विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौथ का बरवाडा, सवाई माधोपुर में कार्यरत है। अनुलग्नक–6 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिव्यांग कार्मिक है जो दिव्यांग कोटे से नियुक्त किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की दिव्यांगता को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)